हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 10/04/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुये :

1.	प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ।	सदस्य
3.	डा0 सरोज कुमार विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ। (सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	प्रो0 ओंकार दीक्षित अधिष्ठाता, आधारभूत संरचना एवं योजना एवं आचार्य, सिविल इंजी0 विभाग, आई0आई0टी0 कानपुर। (निदेशक आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	प्रो0 पी0 नागाभूषण निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद–211011	सदस्य
6.	प्रो0 खालिद मोईन सिविल इंजी0 विभाग, जामिया मिलिया इस्लामियाँ विश्वविद्यालय, दिल्ली (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
7.	श्री नरेन्द्र कुमार चौबे अपर निदेशक, कोषागार एवं पेन्शन, लखनऊ (प्रमुख सचिव वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	श्री राजीव पाण्डेय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ। (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	श्री प्रशांत के0 सिंह (सी0ई0ओ0) ग्लोबल जोन सैनेट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्दिरा नगर, लखनऊ। (शासन स्तर से नामित उद्योगपति)	सदस्य

Scanned by CamScanner

10.	प्रो0 रचना अस्थाना कार्यवाहक निदेशक, ए0आई0टी0एच0, कानपुर एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 विभाग एवं कोआर्डिनेटर टेक्युप–।।। एवं रूसा प्रोजेक्ट, एच0बी0टी0यू0, कानपुर	विशेष आमंत्री
11.	डा0 मनोज कुमार शुक्ला आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 विभाग एवं संयोजक, स्टेट्यूट्स समिति, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	विशेष आमंत्री
12.	श्री राजेश सिंह वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	विशेष आमंत्री
13.	प्रो0 करूणाकर सिंह, कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य–सचिव

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सके :

1.	प्रो0 योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0), दिल्ली – 110042 (अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि)	सदस्य
2.	प्रो0 अनिल कुमार सचान सिविल इंजी0 विभाग, एम0एन0आई0टी0 इलाहाबाद (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
3.	श्री जकरिया मोहम्मद, मैनेजिंग पार्टनर, के0एस0एम0बी0, 24 न्यू बैरी रोड, लखनऊ (शासन स्तर से नामित उद्योगपति)	सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व परिषद् के सदस्य–सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का परिचयोपरान्त स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष, कार्य परिषद् महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

2.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 11/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की दिनांक 11/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया।

2.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 11/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की दिनांक 11/06/2017 को सम्पन्न प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया।

Scanned by CamScanner

2.03 **विश्वविद्यालय में हो रहे विभिन्न कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 27.01.2018 को शिलान्यास/लोकार्पण किये जाने को परिषद में संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।**

परिषद् ने विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 27/01/2018 को शिलान्यास/लोकार्पण किये जाने को संज्ञान में लिया।

2.04 **हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति पद के कार्यभार ग्रहण की सूचना।**

परिषद् ने हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति पद पर प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह की नियुक्ति तथा कार्यभार ग्रहण को संज्ञान में लिया और प्रो0 सिंह को इस हेतु बधाई दी।

2.05 **विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 28.03.2018 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 28/03/2018 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु 4.06 पर सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के निष्प्रायोज्य वाहनों का चिन्हांकन करते हुये उन्हें रिप्लेस कर विश्वविद्यालय स्तर पर वाहन क्रय किया जाय। उक्त सुझाव के साथ परिषद् ने वित्त समिति के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

साथ ही परिषद् द्वारा विगत कई वर्षों की बैलेन्स सीट न बन पाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया। समयबद्धता के परिपेक्ष्य में टेक्युप–।।। एवं रूसा में धीमी क्रय कार्यवाही को गतिशील करने के निर्देश परिषद् द्वारा दिये गये। उक्त के अतिरिक्त डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0 विश्वविद्यालय द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत दी गई ग्रान्ट को समयबद्ध रूप से प्रयोग करने एवं टेक्युप–।।। के समान शोधार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने के निर्देश भी परिषद् द्वारा दिये गये।

2.06 **विश्वविद्यालय में संशोधित टेस्टिंग एवं कन्सल्टेन्सी नियमों तथा दरों को प्रमावी किये जाने पर अनुमोदन।**

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संशोधित टेस्टिंग एवं कन्सल्टेन्सी नियमों तथा दरों सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव से असहमति जताई और उक्त नियमों में विश्वविद्यालय हितों को संरक्षण देने/सर्वोपरि रखने, जिससे कि विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो सके, के प्रयोजन से निम्नलिखित समिति का गठन किया:

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ओंकार दीक्षित, अधिष्ठाता, आधारभूत संरचना एवं योजना एवं आचार्य, सिविल इंजी0 विभाग, आई0आई0टी0 कानपुर	सदस्य
3.	डा0 सरोज कुमार, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ	सदस्य
4.	प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला, इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 विभाग, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।	सदस्य
5.	वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य

परिषद् ने आई0आई0टी0 कानपुर में लागू टेस्टिंग एवं कन्सल्टेन्सी नियमों को प्राप्त करने हेतु प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला को अधिकृत किया और प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही के निर्देश दिये

Scanned by CamScanner

गये। साथ ही निर्देश दिये कि उक्त समिति द्वारा दी गई आख्या को परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

2.07 विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की दिनांक 04/04/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही सुझाव दिया कि बी0टेक0 में 172 केडिट पर बी0टेक0 उपाधि तथा 20 अतिरिक्त केडिट पर (192 केडिट) पर बी0टेक0 आनर्स डिग्री दी जाय। उक्त के अतिरिक्त निर्देश दिये कि अटेण्डेन्स हेतु किसी भी प्रकार का अंक निर्धारण आर्डिनेन्स में न किया जाय। उक्त को शैक्षिक सत्र 2018–19 से लागू किया जाय। बी0टेक0 केमिकल इंजी0, इलेक्ट्रिकल इंजी0 एवं लेदर टेक0 विधाओं की वर्तमान प्रवेश क्षमता कमशः 50, 33 एवं 20 को बढा कर कमशः 60, 60 एवं 30 किये जाने की यथोचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

2.08 डा0 छगन लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग को दिनांक 12.02.2015 से 05.06.2015 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

परिषद् ने डा0 छगन लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग को दिनांक 12/02/2015 से 05/06/2015 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने के प्रकरण में उनके द्वारा समय–समय पर दिये गये प्रार्थना पत्रों, पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर की प्रशासनिक समिति के निर्णय, प्रशासनिक समिति के निर्णय उपरान्त उनकी योगदान आख्या स्वीकृत किये जाने का संज्ञान लेते हुये निम्न निर्णय प्रदान किया:

1. डा0 छगन लाल को दिनांक 12/02/2015 से 05/06/2015 तक असाधारण अवकाश (वेतन रहित) स्वीकृत करते हुये उक्त अवधि में बिना अनुमति के अवकाश पर रहने हेतु उन्हें सचेत किये जाने की अपेक्षा की।
2. उक्तानुरूप डा0 छगन लाल का इन्क्रीमेन्ट शिफ्ट किये जाने की कार्यवाही की जाय।
3. उक्त के कारण डा0 छगन लाल के प्रश्नगत अवधि को पेन्शनरी बेनिफिट्स के लिये न जोडा जाय।

2.09 डा0 विनोद कुमार त्यागी, प्रोफेसर, आयल टेक्नालॉजी विभाग द्वारा बी0आई0ई0टी0, झाँसी के निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने तथा डा0 बिपिन कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग द्वारा डा0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर के निदेशक पद का कार्यभार अतिरिक्त रुप से ग्रहण करने तथा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बिजनौर में निदेशक पद पर उनकी हुयी नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने एवं डा0 (श्रीमती) रचना अस्थाना, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग विभाग द्वारा डा0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर के निदेशक पद का कार्यभार अतिरिक्त रुप से ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना को परिषद के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने प्रस्तुत सूचनाओं को संज्ञान में लिया और डा0 विनोद कुमार त्यागी, प्रोफेसर, आयल टेक्नालॉजी विभाग एवं डा0 बिपिन कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग को सेवा स्थानान्तरण आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की।

उक्त के कम में परिषद् के संज्ञान में लाया गया कि धारणाधिकार सहित सेवा स्थानान्तरण पर जाने वाले शिक्षकों का विश्वविद्यालय द्वारा जी0पी0एफ0 एवं जी0आई0एस0 कन्ट्रीब्यूशन प्राप्त किया जा रहा है, जब कि उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा विभाग से आच्छादित संस्थाओं से इतर प्रदेश

Scanned by CamScanner

एवं देश की किसी अन्य संस्थाओं में धारणाधिकार सहित डेप्युटेशन पर जाने वाले शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से जी0पी0एफ0, जी0आई0एस0, पेन्शन एवं लीव सैलरी कन्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता रहा है। परिषद् ने इस सम्बन्ध में निर्देश दिये कि शासनादेशों में आटोनामश बाडीज के सेवा स्थानान्तरण से आने/जाने वाले शिक्षकों के पेन्शन एवं लीव सैलरी कन्ट्रीब्यूशन प्राप्त किये जाने पर कोई रोक नहीं है अतः उनसे जी0पी0एफ0, जी0आई0एस0, पेन्शन एवं लीव सैलरी कन्ट्रीब्यूशन प्राप्त किया जाय।

2.10 शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश किये जाने हेतु गठित प्रवेश समिति सम्बन्धी की गयी कार्यवाही पर अनुमोदन।

परिषद् ने कुलपति द्वारा शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने हेतु प्रवेश समिति गठन सम्बन्धी की गई कार्यवाही पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2.11 विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना में की गई व्यवस्था/समयबद्धता के परिपेक्ष्य में TEQIP-III परियोजना के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना में दी गई व्यवस्थाओं एवं समयबद्धता के परिपेक्ष्य में TEQIP-III परियोजना के सुचारू संचालन हेतु कुलपति द्वारा लिए गए निर्णयों को संज्ञान में लेते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया। प्रस्तावान्तर्गत पृष्ठ सं0 148 पर प्रस्तुत टेक्युप–III हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/02/2018 में वित्त विभाग, उ0प्र0 के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझावानुसार क्रय समिति के स्थान पर क्रय अनुशंसा समिति अंकित किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही परिषद् द्वारा छात्रों को TEQIP-III परियोजना में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी छात्रों को दिये जाने की अपेक्षा की गई।

2.12 डा0 गौरव बरतरिया, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं डा0 सपना रतन शाह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, गणित विभाग की अन्य संस्थानों में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

परिषद् ने डा0 गौरव बरतरिया, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से दिये गये त्याग पत्र को कुलपति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया एवं कार्य परिषद् ने डा0 सपना रतन शाह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, गणित विभाग द्वारा प्रेषित विश्वविद्यालय सेवा से त्याग पत्र को स्वीकृत करते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

2.13 विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं विश्वविद्यालय हितों के दृष्टिगत निलंबित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अद्यतन वस्तुस्थिति को संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही के दृष्टिगत निलंबित अधिकारी/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अद्यतन वस्तुस्थिति को संज्ञान में लिया और नियमानुसार/विधिक राय के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

Scanned by CamScanner

2.14 विश्वविद्यालय सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने को अंगीकृत किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया और इस हेतु शासनादेश में दीं गई व्यवस्थानुसार कार्यवाही के लिये कुलपति को अधिकृत किया।

2.15 विश्वविद्यालय के पूर्वी एवं पश्चिमी परिसर स्थित जर्जर भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के पूर्वी एवं पश्चिमी परिसर स्थित जर्जर भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुये ध्वस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुरूप कार्यवाही के निर्देश दिये।

2.16 विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली (Statutes) एवं प्रथम अध्यादेश (Ordinance) परिषद द्वारा गठित समितियों द्वारा संशोधित तथा तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली (Statutes) पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये इसे अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। विश्वविद्यालय के बी0टेक0, एम0टेक0, एम0सी0ए0 एवं पी0एच0डी0 के प्रथम अध्यादेश (Ordinance) पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुये अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही परिषद् ने मद सं0 2.07 पर दिये गये निर्णयों/निर्देशों/सुझावों को समावेशित किये जाने की अपेक्षा की।

2.17 विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रांगण में इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) को दी गयी 1870 वर्ग मीटर भूमि का 30 वर्ष की लीज अवधि समाप्त होने पर पुनः 30 वर्ष हेतु उक्त भूमि को लीज पर दिये जाने पर विचार।

परिषद् ने प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखे जाने के निर्देश दिये।

2.18 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को संज्ञान में लिया।

2.19 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद पर विचार।

2.19.1 विश्वविद्यालय अधिनियम–2016 के अन्तर्गत गठित उदभवन हब परिषद् का गठन–एवं–प्रगति आख्या का अवलोकन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय उद्भवन हब परिषद् के गठन पर अनुमोदन प्रदान किया एवं उद्भवन हब परिषद् की अद्यतन प्रगति आख्या को संज्ञान में लिया, तथापि प्रस्तुत प्रगति आख्या के पृष्ठ 26 को आत्मश्लाघा युक्त एवं अनावश्यक पत्राचार पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को सलाह जारी करने के निर्देश दिये।

Scanned by CamScanner

2.19.2 विश्वविद्यालय द्वारा विशाखा गाइड लाइन्स के अनुरूप गठित समिति द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मी श्रीमती सुचिता गुप्ता, प्रधान सहायक की शिकायत पर दी गई संस्तुति पर विचार।

परिषद् ने समिति द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मी श्रीमती सुचिता गुप्ता, प्रधान सहायक की शिकायत पर दी गई संस्तुति को स्वीकृत किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो के दृष्टिगत नियमानुकूल/विधिक राय के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

2.19.3 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट की नियुक्ति सम्बन्धी चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची पर अनुमोदन दिये जाने पर विचार।

परिषद् ने प्रोफेसर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट की नियुक्ति सम्बन्धी चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची पर अनुमोदन प्रदान किया।

2.19.4 नियमित शिक्षकों के चयन हेतु चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु प्रस्तुत सूची पर अनुमोदन।

परिषद् ने चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग प्रतिनिधि को (पूर्ववत् एच0बी0टी0आई0 कानपुर के बाईलाज में चयन हेतु दी गई व्यवस्थानुसार) सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु प्रस्तुत सूची पर अनुमोदन प्रदान किया।

2.19.5 विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्गत विज्ञापन के सापेक्ष विधा विशेष में कतिपय पदों पर 03 से कम आवेदक होने की स्थिति पर विचार।

परिषद् ने शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्गत विज्ञापन के सापेक्ष विधा विशेष में कतिपय पदों पर 03 से कम आवेदक होने पर भी चयन कार्यवाही किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान किया।

2.19.6 कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में प्रोन्नति/चयन में विश्वविद्यालय अधिनयम 2016 प्रवृत्त होने की तिथि 01/09/2016 के पूर्व संस्थान के रूप में ए0पी0आई0 गणना एवं बाद में ए0पी0आई0 गणना के प्रकरण पर विचार।

परिषद् ने कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में प्रोन्नति/चयन में विश्वविद्यालय अधिनयम 2016 प्रवृत्त होने की तिथि 01/09/2016 के पूर्व संस्थान (एच0बी0टी0आई0 कानपुर) के रूप में ए0पी0आई0 गणना एवं बाद में विश्वविद्यालय के रूप में ए0पी0आई0 गणना किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

2.19.7 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में प्रोन्नति/चयन एवं सीधी भर्ती/नियमित शिक्षकों के नियुक्ति की प्रकिया पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय की परिनियमावली (Statutes) न होने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुये विश्वविद्यालय अधिनियम–2016 की धारा 44.1 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 कानपुर के बाइलाज में स्कीनिंग/चयन हेतु दी गई व्यवस्था के अनुरूप शिक्षकों की सीधी भर्ती/कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में नियुक्ति/प्रोन्नति कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

उक्त के कम में परिषद् ने कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवान्समेंन्ट स्कीम में, प्रोन्नति/चयन एवं सीधी भर्ती/नियमित शिक्षकों के चयन/नियुक्ति हेतु निम्नलिखित स्क्रीनिंग समिति का गठन किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया:

1. Vice Chancellor or his nominee ... Chairman
2. One Subject Expert ... Member
3. Head of Department concerned ... Member

साथ ही परिषद् ने कार्यरत शिक्षकों के कैरियर एडवान्समेंन्ट स्कीम में, प्रोन्नति/चयन एवं सीधी भर्ती/नियमित शिक्षकों के चयन/नियुक्ति हेतु निम्नलिखित साक्षात्कार/प्रोन्नति/नियुक्ति/चयन समिति का गठन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया:

1. Vice Chancellor of the University ...Chairman
2. Dean of the concerned School ... Vice-Chairman
3. One Professor or Senior Group 'A' officer each from Other Backward Classes and SC/ST, nominated by the Vice-Chancellor from a panel approved by the Chancellor ... Member
4. Three outside subject experts from the panel approved by the Chancellor. Provided that due notice has been given of the meeting and at least two of them are present ... Members
5. One All India Council for Technical Education nominee ... Member
6. Head of the concerned Department, provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee when he himself is a candidate for appointment or the post concerned is of the same or of a higher rank ... Member
7. An officer of Technical Education Dept. ... Member

उक्त के अतिरिक्त परिषद् ने नियमित शिक्षकों के चयन हेतु शैक्षणिक उपलब्धि (scholastic achievements) के आधार पर स्कीनिंग प्वाइंट्स के निर्धारण के लिये शासनादेश सं0 4226/सोलह–1–2016–1(6)/2016 दिनांक 26/10/2016 को, एवं उक्त के कतिपय बिन्दुओं पर अस्पष्टता, टंकण त्रुटि पर स्पष्ट रूप से टंकित कर प्रस्तुत कार्यसूची के अनुलग्नक 10 को एवं उक्त में टंकित कालम Distribution of Points में अंकित or Honours तथा or Ist Division एवं IInd Division को विलोपित करते हुये अवशेष को अंगीकृत किये जाने के निर्देश के साथ ही **Category –I, Category –II** एवं **Category –III** के अन्तर्गत निम्नलिखित को लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया:

Category –I Institutions: IITs, NITs, IIITs,/IISc/IISERs/Central Universities/Institutions, BITS Pilani or Higher Learning of GOI such as TIFR/TISS/IIMs etc., Foreign Universities ranked among top 750 Universities/Institutions in the world as per the QS/Times ranking
Category –II Institutions: Govt. Institutions/State Universities/ Reputed Private Funded Deemed Universities such as BIT Ranchi/Thaper University/VIT Vellore etc.
Category –III Institutions: All other Universities and Institutions not covered under category-I and category-II.

साथ ही परिषद् ने विज्ञापन सं0 Estt-01/2017 दिनांक 28/09/2017 पर अनुमोदन प्रदान किया एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद के लिये लिखित परीक्षा में आंशिक संशोधन करते हुये असिस्टेन्ट प्रोफेसर के आवेदक अभ्यर्थियों को उनकी विधा विशेष में 30 मार्कस की गेट/नेट पाठ्यक्रम स्तरीय आफ लाइन मल्टिपल च्वाइस परीक्षा कराये जाने के साथ ही एक रिक्त पद के सापेक्ष 06 अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर भी अपना अनुमोदन प्रदान किया। उक्त परिवर्तन सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उनके ईमेल एवं बुलावा पत्र (काल लेटर) में भी दिये जाने के निर्देश दिये। उक्त के अतिरिक्त परिषद् ने स्क्रीनिंग/साक्षात्कार/चयन की प्रक्रिया में किसी भी कठिनाई/संक्रमण/व्यतिक्रम के निवारण हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

Scanned by CamScanner

2.19.8 विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में कतिपय कठिनाईयों को दूर करने हेतु समिति का गठन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में कतिपय कठिनाईयों को दूर करने के लिये समिति गठित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया और समिति से प्राप्त आख्या दिनांक 20 मई, 2018 तक शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये, जिससे कि 02 वर्ष की समय सीमा में आवश्यक संशोधन किये जा सकें।

उक्त के साथ ही परिषद् ने निम्नलिखित अन्य निर्देश/निर्णय प्रदान किये:

1. परिषद् ने विश्वविद्यालय भवन समिति की दिनांक 17/03/2018 को सम्पन्न प्रथम बैठक के कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।
2. परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पेन्ट टेक्नोलाजिस्ट एशोसिएसन द्वारा प्रस्तावित सेमिनार हाल/समिति कक्ष के निर्माण हेतु परिषद् द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा इस प्रकार के प्रकरणों में आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा अपनाई जान वाली प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही के निर्देश दिये।
3. परिषद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे विश्वविद्यालय वादों की प्रभावी पैरवी हेतु अधिवक्ता आबद्ध करने तथा प्रति कुलपति नामित करने एवं किसी आकस्मिक स्थिति में परिषद् सदस्यों की वाई सर्कुलेशन सहमति से विश्वविद्यालय हित में कार्यवाहियों हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

11.04.18

(प्रो0 करूणाकर सिंह)
कुलसचिव

11/04/18

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति

Scanned by CamScanner